भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2645
दिनांक 04 अगस्त, 2026 / 13 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

बीएनएस में अपराधों से निपटने के प्रावधान

2645. श्री दिलीप शइकीया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों से कठोरता से निपटने के लिए कोई प्रावधान किए गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख): सरकार महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध की रोकथाम और मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 में, पहली बार, महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध से संबंधित प्रावधानों को प्राथमिकता दी गई है और उन्हें एक अध्याय के अंतर्गत शामिल किया गया है। महिलाओं के प्रति अपराधों के लिए मृत्युदंड तक की कड़ी सजाओं का प्रावधान किया गया है। 18 वर्ष से कम आयु की महिला के सामूहिक बलात्कार के दोषी व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे के नाम पर अथवा पहचान छुपाकर यौन संबंध बनाने आदि को भी भारतीय न्याय संहिता, 2023 में एक नए अपराध के रूप में शामिल किया गया है। नई संहिताओं में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित मुख्य प्रावधान अनुलग्नक में दिए गए हैं।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2645, दिनांक 04.08.2026

अनुलग्नक

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा संबंधी प्रावधान

i. भारतीय न्याय संहिता, 2023 के नए अध्याय–V में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों को अन्य सभी अपराधों से अधिक प्राथमिकता दी गई है।

ii. भारतीय न्याय संहिता में, सामूहिक बलात्कार के अवयस्क पीड़ितों के लिए उम्र संबंधी अंतर को हटा दिया गया है। इससे पूर्व 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के सामूहिक बलात्कार के लिए अलग-अलग सजा का निर्धारण किया गया था। इस प्रावधान में संशोधन कर दिया गया है और अब अठारह वर्ष से कम आयु की किसी महिला के सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है।

iii. महिलाओं को परिवार के एक वयस्क सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जो उस व्यक्ति के स्थान पर समन प्राप्त कर सकती है, जिसे समन भेजा गया है। 'किसी वयस्क पुरुष सदस्य' से संबंधित पूर्ववर्ती संदर्भ को बदलकर 'किसी वयस्क सदस्य' कर दिया गया है।

iv. पीड़ित को अधिक सुरक्षा प्रदान करने और बलात्कार के किसी अपराध की जांच में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, पीड़ित के बयान को पुलिस द्वारा ऑडियो-वीडियो साधनों के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा।

v. महिलाओं के प्रति कुछ विशेष अपराधों के मामले में, पीड़ित का बयान, जहां तक संभव हो, महिला मजिस्ट्रेट द्वारा तथा उसके अनुपस्थित होने की स्थिति में एक महिला की उपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि संवेदनशीलता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके तथा पीड़ितों के लिए सहायक वातावरण बनाया जा सके।

vi. चिकित्सकों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे बलात्कार के किसी पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर जांच अधिकारी को सौंपेंगे।

vii. यह प्रावधान किया गया है कि पंद्रह वर्ष से कम या 60 वर्ष (विगत में 65 वर्ष) से अधिक आयु के किसी पुरुष व्यक्ति या किसी महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति या गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के लिए उस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी जहां ऐसा व्यक्ति अथवा महिला रहती है। उन मामलों में जहां ऐसा व्यक्ति पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के लिए राजी हो, तो उसे ऐसा करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

viii. नए कानून सभी अस्पतालों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध के पीड़ितों के लिए निःशुल्क प्राथमिक उपचार या चिकित्सा उपचार का प्रावधान करते हैं। यह प्रावधान चुनौतीपूर्ण समय के दौरान पीड़ितों के स्वास्थ्य और रिकवरी को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक चिकित्सा देखभाल तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित करता है।

ix. अपराध करने के लिए किसी बच्चे को काम पर रखने, नियोजित करने या नियुक्त करने के कार्य को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 95 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है, जिसमें न्यूनतम सात साल के कारावास की सजा शामिल है, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रावधान का उद्देश्य गिरोहों या समूहों को अपराध करने के लिए बच्चों को नियोजित करने/काम पर रखने से रोकना है।
